



कार्यालय प्राचार्य

शासकीय होलकर (आदर्श, स्वशासी) विज्ञान महाविद्यालय, इंदौर म.प्र.

(नैक प्रत्यायित A⁺⁺ ग्रेड प्राप्त संस्थान)

☎ 0731-2464074 ✨ फैक्स: 0731-2446806, 2764027

Email: principalhsc@rediffmail.com ✨ Web Site: www.collegeholkar.org

इंदौर, दिनांक 01/10/2026

// कार्यालय आदेश //

विषय :- बी.एससी. प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों हेतु निर्धारित महाविद्यालयीन यूनिफॉर्म अनिवार्य किए जाने के संबंध में।

महाविद्यालय में अध्ययनरत बी.एससी. प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के समस्त छात्र-छात्राओं के लिए निर्धारित महाविद्यालयीन यूनिफॉर्म में महाविद्यालय आना अनिवार्य है। शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हुए लगभग तीन माह व्यतीत हो चुके हैं। इसके बावजूद यह संज्ञान में आया है कि अनेक विद्यार्थियों द्वारा निर्धारित यूनिफॉर्म संबंधी महाविद्यालयीन नियम का अपेक्षित रूप से पालन नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में पूर्व में भी प्राचार्य कार्यालय द्वारा विद्यार्थियों को निर्देशित किया गया है तथा Mentors एवं Heads of Departments (HODs) को भी समय-समय पर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। इसके बावजूद यूनिफॉर्म के संबंध में अपेक्षित अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है।

उक्त स्थिति महाविद्यालय की अनुशासन व्यवस्था तथा निर्धारित नियमों के पालन की दृष्टि से उचित नहीं है। अतः महाविद्यालय में अनुशासन एवं निर्धारित नियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू किए जाते हैं :-

//निर्देश //

1. बी.एससी. प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत प्रत्येक छात्र-छात्रा के लिए निर्धारित महाविद्यालयीन यूनिफॉर्म में महाविद्यालय आना अनिवार्य होगा।
2. कोई भी विद्यार्थी निर्धारित यूनिफॉर्म के बिना कक्षा, प्रयोगशाला (Laboratory), प्रायोगिक कक्षा अथवा किसी अन्य शैक्षणिक गतिविधि में प्रवेश नहीं करेगा तथा निर्धारित यूनिफॉर्म के संबंध में महाविद्यालयीन नियमों का पालन सुनिश्चित करेगा।
3. समस्त विभागाध्यक्ष (HODs) यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके विभाग में संचालित बी.एससी. प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की कक्षाओं एवं प्रयोगशालाओं में कोई भी विद्यार्थी निर्धारित यूनिफॉर्म के बिना उपस्थित न हो।
4. प्रत्येक प्राध्यापक/शिक्षक की यह जिम्मेदारी होगी कि वे अपनी कक्षा अथवा प्रयोगशाला में विद्यार्थियों की उपस्थिति के समय निर्धारित यूनिफॉर्म का अनिवार्य रूप से निरीक्षण करें। निर्धारित यूनिफॉर्म में उपस्थित नहीं होने वाले विद्यार्थियों के संबंध में विभागाध्यक्ष को तत्काल अवगत कराया जाए।
5. समस्त Mentors अपने-अपने मॉडल समूह के विद्यार्थियों को निर्धारित यूनिफॉर्म के संबंध में आवश्यक रूप से अवगत कराते हुए नियमित रूप से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित विभागाध्यक्ष को सूचित करेंगे।
6. विभागाध्यक्ष एवं संबंधित शिक्षक/प्राध्यापक यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित यूनिफॉर्म के संबंध में जारी निर्देशों का विद्यार्थियों द्वारा नियमित रूप से पालन किया जा रहा है। नियमों के उल्लंघन की पुनरावृत्ति होने पर संबंधित विद्यार्थी के विरुद्ध महाविद्यालयीन नियमों के अनुसार आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।
7. समस्त विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि उपर्युक्त निर्देशों की जानकारी बी.एससी. प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों को स्पष्ट रूप से प्रदान कर दी जाए तथा विभाग स्तर पर इसका प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
8. उक्त निर्देशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता पाए जाने पर संबंधित स्तर पर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।

अतः महाविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्ष, प्राध्यापक/शिक्षक एवं Mentors उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए बी.एससी. प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों द्वारा निर्धारित महाविद्यालयीन यूनिफॉर्म में उपस्थित होने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

प्राचार्य

शासकीय होलकर (मॉडल स्वशासी) विज्ञान महाविद्यालय

इंदौर (म.प्र.)

इंदौर, दिनांक 01/10/2026

प्रतिलिपि :

1. समस्त विभागाध्यक्ष (HODs), शासकीय होलकर (मॉडल स्वशासी) विज्ञान महाविद्यालय, इंदौर — आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु।
2. समस्त Mentors, बी.एससी. प्रथम एवं द्वितीय वर्ष — विद्यार्थियों को अवगत कराने एवं अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु।
3. समस्त प्राध्यापक/शिक्षक, बी.एससी. प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की कक्षाओं हेतु — आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्राचार्य

शासकीय होलकर (मॉडल स्वशासी) विज्ञान महाविद्यालय

इंदौर (म.प्र.)